

न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ।

फौजदारी वाद सं०- /2023

सरकार

बनाम

अंतर्गत धारा-मोटर वाहन अधिनियम

संबंधित थाना – TSI जिला –बदायूँ।

पत्रावली पेश हुई। अवलोकन किया। प्रस्तुत चालान 2021 से संबंधित है।

माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा जारी अध्यादेश संख्या 22/79-वि०-1-2023-2-क-2-2023 लखनऊ 22 मार्च, 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधो का शमन और विपचारणों का उपशमन)(संशोधन) अधिनियम संख्या-1979 की धारा 9 में उपधारा(2) में शब्द और अंक 31 दिसम्बर 2016 के स्थान पर शब्द और अंक 31 दिसम्बर 2021 रख दिये जायेंगे। इस प्रकार मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित उक्त चालान की अवधि उपरोक्त अध्यादेश की परिधि में आता है। उपरोक्त अध्यादेश को दृष्टिगत रखते हुए मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित उक्त चालान उपशमित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित उक्त चालान की कार्यवाही उक्त अध्यादेश के अनुपालन में उपशमित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

बदायूँ।